

1/2018

राज्य विरुद्ध शिवकुमार

Time : 02:30PM

Witness no. **06** for अभियोजन साक्ष्य deposition taken the **15-01-2020** day of बुधवार witness apparent age 43 Year state on affirmation शपथ पूर्वक कथन my name is प्रेम किसन Son, of स्व. श्री जेतूराम Occupation खेती किसानी address करही थाना बिरा जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग.

01. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त को जानता पहचानता हूँ, वह रिश्ते में मेरे साढ़ू लगता है। घटना आज से दो वर्ष पूर्व की है। मेरे साला मनोहर मुझे फोन करके बताया कि शिवकुमार और गीता बाई मोटर सायकल से जा रहे थे, तो ग्राम करमनडीह के नाला के पास सामने से अचानक गाय के आ जाने से मोटर सायकल से दोनों गिर गये थे और उन्हें शासकीय अस्पताल जैजैपुर लेकर आये हैं। जहां गीता बाई की मृत्यु होना बताया है। सूचना के बाद मैं अस्पताल जैजैपुर आया और वहां से थाना जैजैपुर गया था।

02. पोस्ट मार्टम एवं पंचनामा कार्यवाही मेरे समक्ष हुआ है। मृत्यु जांच उपस्थिति पत्रक प्र.पी. 02, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 03 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालें मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये हैं। अभियुक्त हमारा रिश्तेदार है, हमारा अभियुक्त से राजीनामा हो गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आर.एल. रात्रे वास्ते अभियुक्त

03. यह कहना सही है कि घटना के समय मैं घटना स्थल पर नहीं था। यह कहना सही है कि गाड़ी कौन चला रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि हम लोग शिवकुमार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते थे, पुलिस वालें जबरन केस बना दिये हैं।

Time : 1:40PM

वाचित ,सत्य,स्वीकृत

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

सही/-

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

सही/-

गवाह के हस्ताक्षर

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

1/2018

राज्य विरुद्ध शिवकुमार

Time : 12:55PM

Witness no. **05** for अभियोजन साक्ष्य deposition taken the **15-01-2020** day of बुधवार witness apparent age 13 Year state on affirmation शपथ पूर्वक कथन my name is काव्य Son, of शिवकुमार Occupation पढ़ाई कक्षा 8 वीं address करमनडीह थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग.

01. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त शिवप्रसाद को जानता पहचानता हूँ, वह मेरे पिता है। मैं मृतका गीताबाई मेरी मां है। आज से लगभग 2-3 साल पूर्व की है। मैं घटना दिनांक को घर पर ही था। मां पिताजी के मोटर सायकल में बैठकर मौहाडीह जा रहे थे। मुझे घर वालों बतायें कि मोटर सायकल से जाते समय गाय बैल सामने से आ जाने से अचानक ब्रेक लगाने से मेरे मां एवं पिता गाड़ी से गिर गये थे। घर वालों मेरे माता पिता को घटना स्थल से उठाकर घर लेकर आये थे, वहां से अस्पताल लेकर गये थे, जहां अस्पताल में मेरी माता की मृत्यु हो गयी थी। मैंने पुलिस वालों को घटना के संबंध में बयान दिया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आर.एल. रात्रे वास्ते अभियुक्त

02. यह कहना सही है कि मैं घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, इसलिये घटना कैसे घटित हुई, मैं नहीं जानता हूँ।

Time : 1:25PM

वाचित ,सत्य,स्वीकृत

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

सही/-

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

सही/-

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

1/2018

राज्य विरुद्ध शिवकुमार

Time : 12:55PM

Witness no. **04** for अभियोजन साक्ष्य deposition taken the **15-01-2020** day of बुधवार witness apparent age 40 Year state on affirmation शपथ पूर्वक कथन my name is अशोक कुमार वैष्णव Son, of श्री रमन दास वैष्णव Occupation खेती किसानी address करमनडीह थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग.

01. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त शिवप्रसाद को जानता पहचानता हूँ, वह मेरे ही गांव का निवासी है। मैं मृतका गीताबाई को नहीं जानता हूँ। आज से लगभग 2 साल पूर्व रात के समय मैं राधेलाल चन्द्रा के मैक्सीमों बोड़ी गाड़ी में अभियुक्त के मां एवं पत्नी व परिवार के सदस्यों को अस्पताल जैजैपुर लेकर आया था। किसकों क्या चोट लगा था , मुझे जानकारी नहीं है। मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैंने पुलिस वालों को घटना के संबंध में बयान दिया था।

टीप- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी श्री सुधीर कुमार द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमित चाही। विचार बाद अनुमित दी गयी।

02. यह कहना सही है कि दूसरे दिन मुझे पता चला कि शिवकुमार कोसले की पत्नी गीता कोसले की मृत्यु हो गयी है। यह कहना गलत है कि मुझे जानकारी मिली कि शिवकुमार अपनी पत्नी गीता को मोटर सायकल में बैठाकर बोडसरा होते हुये करमनडीह जा रहे थे तो खाल्हे नरवा में अचानक गाय बैल आ जाने से ब्रेक लगाने से गिरने से अंदरूनी चोट आने से मृत्यु हुई।

03. यह कहना गलत है कि अभियुक्त मेरे गांव का है, इसलिये उसे बचाने के लिये आज सही बातें नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आर.एल. रात्रे वास्ते अभियुक्त

04. यह कहना सही है कि घटना के संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

Time : 1:10PM

वाचित ,सत्य,स्वीकृत

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

सही/-

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

सही/-

(मंजू लता सिन्हा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)